

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठारीन अधिकारी : डॉ० भारकर बिस्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 70/2025 G.C.M.S. No. 2025/270 दर्ज दिनांक : 05.06.2025
अपीलार्थी:

1. हेमलता पुत्री इंदरमल उम्र 48 वर्ष, जाति रावल ब्राह्मण, निवासी रामदेव गली तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्धिगण:

1. शांतिलाल पुत्र इंदरमल उम्र वयस्क जाति रावल ब्राह्मण, निवासी तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
2. स्व. पुष्पा पुत्री इंदरमल के कायम मुकाम:-
2/1 हरीशकुमार पुत्र गुलाब उम्र वयस्क
2/2 मनीष पुत्र गुलाब उम्र वयस्क
2/3 रोहित पुत्र गुलाब उम्र वयस्क
2/4 रिंकु पुत्री गुलाब उम्र वयस्क
2/5 निशा पुत्री गुलाब उम्र वयस्क, तमाम जातिगण रावल ब्राह्मण, निवासी रसाला रोड़, जोधपुर।
3. सुन्दर पुत्री इंदरमल उम्र वयस्क जाति रावल ब्राह्मण निवासी रामदेव गली तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
4. मनोज कुमार पुत्र उम्मेदमल उम्र वयस्क, जाति रावल ब्राह्मण निवासी खेड़ावास, तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
5. महिपालसिंह महेला पुत्र मोहनसिंह उम्र वयस्क, जाति जाट निवासी प्लॉट नंबर 26 बट्टी विहार लाल सागर जोधपुर।
6. भूराराम पुत्र खीयाराम उम्र वयस्क, जाति जाट निवासी नई पाली रोड़, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
7. प्रकाश कुमार पुत्र रूपाराम, उम्र वयस्क, जाति कुमावत, निवासी लुणावा, हाल निवास मजीसा ट्रेवल्स, तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
8. तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2022 बअनवान शांतिलाल बनाम पुष्पा के का.मु. हरिशकुमार वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.02.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:-

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांत।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 7
4. शेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय

दिनांक: 27.02.2025

अपीलान्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1985 विरुद्ध सहायक कमिश्नर सुनेसपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2022 बअनवान शतिलास बनाम पुष्पा के का.मु. हरिश्चन्द्रनगर वरील में दायित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.02.2025 प्रस्तुत की हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया एवं सौच रेस्पोंडेंट्स के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया की अपीलार्थीया एवं रेस्पोंडेंट्स के सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम तखतगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 663 रकबा 4.11 हेक्टर किसम नहरी योग्य राजस्व रेकॉर्ड की आयी हुई स्थित है। जिसके खाता संख्या 1209 व पुराने खाता संख्या 695 है। उक्त कृषि भूमि में वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 का 1/8 हिस्सा तथा अपीलार्थीया एवं रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 लगायत 5 का 1/8-1/8 हिस्सा तथा रेस्पोंडेंट्स संख्या 6 का 105/548 व रेस्पोंडेंट्स संख्या 7 का 8/137 वां हक हिस्सा आता हैं तथा अपीलार्थीया व रेस्पोंडेंट्स सह खातेदार हैं तथा इस कृषि भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बालुण्ड्स नाप व सीमांकन का बंटवाड़ा किया हुआ नहीं हैं तथा बिना बंटवाड़े के वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा व काशत हैं, वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलार्थीया एवं रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 लगायत 7 को कई बार मौखिक रूप से उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़े करने हेतु निवेदन किया परंतु वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 को सही जवाब नहीं दे रहे हैं एवं काशत करने में दखलअंदाजी कर रहे हैं तथा उसके हक हिस्से की कृषि भूमि पर भी जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं तथा वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 की सहमति के बिना सम्पूर्ण भूमि को आबादी में परिवर्तित करवाने एवं मौके पर वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 की हक हिस्से की भूमि पर भी भूखण्ड काटकर बिना बंटवाड़े व बिना वादी की सहमति के उक्त भूमि को बेचाण करने पर आमदा हैं जबकि वादी सर्व नपाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अलग करवाना चाहता हैं वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 को प्रतिवादीगण/अपीलार्थीया एवं रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 लगायत 7 उसके हक हिस्से की भूमि में काशत करने में हस्तक्षेप व दखलअंदाजी पैदा कर रहे हैं जिस कारण मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त रूप से काशत करना संभव नहीं हैं। वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 के वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीया एवं रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 लगायत 8 को जरिये सम्मन तलब किया अपीलार्थीया की विधिवत तामील करवाए बिना अपीलार्थीया एवं रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 के विधिक वारिसानों व 3 विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की, रेस्पोंडेंट्स संख्या 4 से 7

ने जवाब पेश कर बताया की वादग्रस्त कृषि भूमि का मौखिक विभाजन हो रखा हैं एवं



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भौतिक विभाजन अनुसार सभी खातेदारान् अपने अपने हिस्से बंट की भूमि पर काबिल हैं एवं भौतिक बंटवाड़े अनुसार विभाजन की अपने जवाबदावे में सहमति दी गानि अपने जवाबदावे में वादग्रस्त के विपरीत कथन दर्ज किये फिर भी अधिवक्ता न्यायालय ने तनकीयात कामच किये बिना घावी एवं प्रतिवादीगन की साक्ष्य लिखे बिना अपीलार्थीया व रेस्पोंडेन्स संख्या 2 व 3 को सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये बिना विधिक सिद्धान्तों के विपरीत आदेशिका में ही निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अपीलार्थीया निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थीया को पूर्व में नहीं थी। आज से एक माह पूर्व रेस्पोंडेन्स संख्या 5 से 7 वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये एवं वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे के भाग पर साफ-सफाई करवाकर प्लॉटिंग करने लगे तो अपीलार्थीया ने रेस्पोंडेन्स संख्या 5 से 7 को वादग्रस्त कृषि भूमि के आगे के भाग पर प्लॉटिंग करने से रोका तो रेस्पोंडेन्स संख्या 5 से 7 ने अपीलार्थीया को कहा कि जिस भूमि पर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं उक्त कृषि भूमि को न्यायालय ने बंटवाड़े में हमारे हिस्से में दी हैं तब अपीलार्थीया ने कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं, मैं भी उपरोक्त कृषि भूमि की सहखातेदार हूँ तब रेस्पोंडेन्स संख्या 5 से 7 ने अपीलार्थीया को कहा कि तुम्हारे भाई शांतिलाल व हमने मिलकर उपरोक्त कृषि भूमि के बंटवाड़े का दावा पेश कर तुम्हारे व तुम्हारी बहनों के विरुद्ध फर्जी तामील करवाकर एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर न्यायालय से निर्णय व डिक्री पारित करवा दिये हैं एवं इस वादग्रस्त कृषि भूमि के अगले हिस्से के भूमि हमारे हिस्से में ले ली हैं तब अपीलार्थीया को प्रथम बार जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। तब अपीलार्थीया ने दिनांक 23.4.2025 को सुमेरपुर जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में जाकर पता किया तब न्यायालय से अपीलार्थीया को उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी दी गयी तब अपीलार्थीया ने अपने अधिवक्ता के मार्फत उसी दिन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पेश किया जहां से दिनांक 24.4. 2025 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुयी, उक्त प्रति प्राप्त होने पर सुमेरपुर के अधिवक्ता ने अपीलार्थीया को सलाह दी की पाली जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री की अपील पेश कराओं तब अपीलार्थीया पाली आयी व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब अधिवक्ता ने अपील पेश करने की सलाह दी उक्त सलाह एवं प्रति प्राप्त होने से यह अपील अतिशीघ्र प्रस्तुत की जा रही हैं। जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 23.4.2025 को होने पर अपीलार्थीया ने उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.4.2025 को प्राप्त की जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की दिनांक से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांत



स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

व्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने बहस पर ध्यान किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेकन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त अधिभाजित सहखातेदारी भूमि के विभाजन हेतु बादी रैस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांत व दीगर रैस्पोंडेंट के विरुद्ध वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2025 को निर्णित व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांत द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थीया को पूर्व में नहीं थी। आज से एक माह पूर्व रैस्पोंडेंट्स संख्या 5 से 7 वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये एवं वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे के भाग पर साफ-सफाई करवाकर प्लॉटिंग करने लगे तो अपीलार्थीया ने रैस्पोंडेंट्स संख्या 5 से 7 को वादग्रस्त कृषि भूमि के आगे के भाग पर प्लॉटिंग करने से रोका तो रैस्पोंडेंट्स संख्या 5 से 7 ने अपीलार्थीया को कहा कि जिस भूमि पर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं उक्त कृषि भूमि को न्यायालय ने बंटवाड़े में हमारे हिस्से में दी है तब अपीलार्थीया ने कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ है, मैं भी उपरोक्त कृषि भूमि की सहखातेदार हूँ तब रैस्पोंडेंट्स संख्या 5 से 7 ने अपीलार्थीया को कहा कि तुम्हारे भाई शांतिलाल व हमने मिलकर उपरोक्त कृषि भूमि के बंटवाड़े का दावा पेश कर तुम्हारे व तुम्हारी बहनों के विरुद्ध फर्जी तामील करवाकर एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर न्यायालय से निर्णय व डिक्री पारित करवा दिये हैं एवं इस वादग्रस्त कृषि भूमि के अगले हिस्से के भूमि हमारे हिस्से में ले ली है तब अपीलार्थीया को प्रथम बार जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। तब अपीलार्थीया ने दिनांक 23.4.2025 को सुमेरपुर जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में जाकर पता किया तब न्यायालय से अपीलार्थीया को उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी दी गयी तब अपीलार्थीया ने अपने अधिवक्ता के मार्फत उसी दिन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पेश किया जहां से दिनांक 24.4. 2025 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुयी, उक्त प्रति प्राप्त होने पर सुमेरपुर के अधिवक्ता ने अपीलार्थीया को सलाह दी की पाली जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री की अपील पेश कराओं तब अपीलार्थीया



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पाली आयी व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब अधिवक्ता ने अपील पेश करने की सलाह दी उक्त सलाह एवं प्रति प्राप्त होने से यह अपील अधिसूचित प्रस्तुत की जा रही है। जैर अपीलधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 23.04.2025 को होने पर अपीलधीन ने उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.04.2025 को प्राप्त की जैर अपीलधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की दिनांक से यह अपील अन्वय म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांत अन्वय म्याद शुमार फरमावे।

3. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं है तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आन्वय पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए उभयपक्ष को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांत अन्वय म्याद शुमार की जाती है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में दिनांक 06.12.2024 को वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकर्ड व जमाबंदी में वर्णित हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार सुमेरपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थिति हेतु दिनांक व समय का निर्धारण करते हुए सहखातेदारान को नोटिस क्रमांक 05/2025 दिनांक 20.01.2025 जारी किया गया तथा समस्त सहखातेदारान को सूचित किया गया। जिनमें अपीलांत हेमलता को जारी नोटिस की तामिली रिपोर्ट अनुसार बाहर होने से खुले आबाद मकान पर दो गवाहों की उपस्थिति में नोटिस चस्था किया गया। जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा तैयार किया गया। अतः इस स्तर पर प्रक्रियात्मक रूप से तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।
5. विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 663, खसरा संख्या 662 तखतगढ़ सड़क मार्ग तथा खसरा संख्या 671 गैर मुमकिन रास्ता से लगता हुआ स्थित है तथा अन्य दिशा में दीगर खातेदारी आराजी है। तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में अपीलांत सहित प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को विभाजन के लिए प्रस्तावित भूखण्ड खसरा संख्या 671 गैर मुमकिन रास्ता तथा खसरा संख्या 662 तखतगढ़ सड़क मार्ग दोनों रास्तों से लगते हुए स्थान पर प्रस्तावित किया गया है। जबकि वादी सहित दीगर प्रतिवादीगण को प्रस्तावित हिस्सा केवल खसरा संख्या 662 तखतगढ़ सड़क मार्ग से लगता हुआ प्रस्तावित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा न केवल नियम 18 से 21 की बखूबी पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया बल्कि पहुंच मार्ग का भी बखूबी प्रावधान रखा गया। अतः अपीलांट का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं रहें कि तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई हों। अतः इस स्तर पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में कोई त्रुटि साबित नहीं होती हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। जिसमें कोई त्रुटि साबित नहीं होती हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2022 अनवान शांतिलाल बनाम पुष्पा के का.मु. हरिशकुमार वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.02.2025 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

